>

Title: Regarding security threat being posed to Air Force installations in Jamnagar, Gujarat due to relaxation of norms for construction work.

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : भारत सरकार की तत्कालीन उप-सचिव डॉ. परविंदर कौर ने रक्षा अधिनियम 1903 की धारा 7 और 3 का इस्तेमाल करते हुए, 22 मई, 2001 को भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों तथा अवस्थापनाओं की बाह्य की चोटी से 900 मीटर की सीमा तक भूमि पर किसी भी प्रकार के भवन या ढांचा और पेड़ खड़ा करने के लिए मना किया था, लेकिन जामनगर जिला मजिस्ट्रेट ने 2008 में भारतीय वायुसेना और अपस्थापनाओं के कुछ इलाकों में 100 मीटर और 300 मीटर के बाहर बांधकाम की छूट दे दी है। यह राहत किस आधार पर दी गई है और इसे इतने साल के बाद प्रकाशनार्थ जारी करने का क्या कारण है?

मेरी आपसे गुजारिश है कि मूल रूप से प्रकाशनार्थ आदेश पर अमल करने के लिए गुजरात सरकार के अधिकारियों को आदेश दिया जाए वरना देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा होगा।[b5]

MR. SPEAKER : What I said earlier is getting proved – this is really a 'torture hour'.

SHRI SANTOSH GANGWAR (BAREILLY) : No, Sir. It is not a 'torture hour'.

अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, हम लोग अपनी बात यहां नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन थोड़ा रेगुलेट होना चाहिए।